

न्यायालय : अति० व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
(समक्ष-प्रतिष्ठा अवस्थी)

प्रकरण क्रमांक : 157ए/2015

संस्थित दिनांक : 13.08.2010

फाइलिंग नंबर : 230303001292010

1-प्रेमनारायण आयु 35 वर्ष

2-राजेश कुमार आयु 33 वर्ष पुत्रगण स्व०
रामस्वरूप

3-जीतू आयु 26 वर्ष पुत्र रामस्वरूप
निवासीगण ग्राम रठियन का पुरा वार्ड नं०5
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— वादीगण

बनाम

1-मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका
परिषद गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

2-बालमुकुन्द पुत्र परमानन्द, जाति ब्राम्हण,
निवासी रठियन का पुरा वार्ड नं० 5 गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

3-लक्ष्मण पुत्र रामसिंह जाति जाटव उम्र 50 वर्ष
निवासी वार्ड नं० 5 रठियन का पुरा गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

4-बालकृष्ण शर्मा पुत्र परमानन्द शर्मा निवासी
इटायली गेट गोहद जिला भिण्ड वार्ड नं० 7
रठियन का पुरा गोहद हाल सी-176, पटेल
नगर सिटी सेन्टर ग्वालियर म.प्र.

— प्रतिवादीगण

(वादीगण द्वारा-अधिवक्ता श्री केशवसिंह गुर्जर)

(प्रतिवादी क्र० 1 द्वारा अधिवक्ता श्री महेश श्रीवास्तव)

(प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 द्वारा अधिवक्ता श्री पी०के० वर्मा)

(प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा अधिवक्ता श्री राकेशचन्द्र गुप्ता)

निर्णय

(आज दिनांक 31-08-2017 को घोषित)

वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वार्ड नं० 5 रठियन का पुरा गोहद में स्थित मकान के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित शौचालय एवं लेट्रिन, बाथरूम जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से दर्शित किया गया है, की स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा वादीगण के विरुद्ध सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है।

02. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि वादीगण का पुश्तैनी शामिलाली मकान वार्ड नं० 5 रठियन का पुरा गोहद में स्थित है जिसमें बंटवारे के अनुसार वादीगण का भाग उत्तर दिशा की तरफ है तथा वादीगण के चाचा भानसिंह का भाग दक्षिण दिशा की तरफ है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की शामिलाली भूमि है जो बाद में वादीगण के पूर्वजों को बंटवारे में प्राप्त हुई थी जिस पर वादीगण के पूर्वजों द्वारा मकान का निर्माण किया गया है। वादीगण का मकान रठियन पुरा गोहद में सर्वे क्रमांक 1137 एवं 1138 के भू-भाग में स्थित है तथा गांवथान आबादी का भू-भाग है। नगर पालिका एवं शासन द्वारा कभी कोई नक्शा नहीं बनाया गया है जिसमें रास्ते आदि का उल्लेख हो। वादीगण एवं वादीगण के चाचा भानसिंह आदि का शामिलाली मकान उत्तर से दक्षिण 56 फीट एवं पूर्व से पश्चिम 55 फीट है। वादीगण का पैतृक मकान पहले कच्चा बना हुआ था जिसमें बाद में पक्का निर्माण किया गया है। उक्त शामिलाली मकान के दक्षिणी पूर्वी कोने पर घर पर देवताओं का मंदिर है तथा उत्तरी पूर्वी कोने पर वादीगण का शौचालय लेट्रिन एवं बाथरूम बना हुआ है उक्त शौचालय पहले कच्चा था बाद में करीब 30 साल से पक्का बना हुआ है। घर बंटवारे के अनुसार वादीगण को उक्त मकान का उत्तरी भाग एवं विवादग्रस्त शौचालय बंटवारे में प्राप्त हुआ है। वादपत्र के साथ वादीगण द्वारा मानचित्र भी प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें पैतृक मकान को अ,ब,स,द, तथा वादीगण के मकान को अ,ब,क,ख एवं विवादित शौचालय को लाल स्याही से चिह्नित किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के मृतक पिता रामस्वरूप के स्थान पर दिनांक 29.12.06 को भवन क्रमांक 85/1 पर वादीगण का नामांतरण स्वीकार किया गया है। वादीगण के पिता रामस्वरूप एवं चाचा भानसिंह द्वारा वर्ष 1988 में शामिलाली मकान के निर्माण की स्वीकृति हेतु नक्शा 56गुणा49 वर्गफीट प्रस्तुत किया गया है जिस पर प्रतिवादी नगर पालिका द्वारा दिनांक 02.12.1988 को पूर्व से पश्चिम 31

फुट एवं उत्तर दक्षिण 56 फीट पर वादीगण की भूमि मानते हुए निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृति दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित देवस्थान की भूमि से विवादित शौचालय तक प्रदान की गयी थी। विवादित शौचालय के सामने तिवारा का निर्माण वादीगण के पूर्वजों द्वारा नहीं किया गया है वादीगण के पूर्वजों ने केवल शौचालय का निर्माण किया था तभी से शौचालय बना हुआ है। वादग्रस्त शौचालय के अतिरिक्त वादीगण के मकान में अन्य शौचालय नहीं है। वादीगण के विरोधियों के कहने पर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादीगण को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से वादग्रस्त शौचालय को तोड़ने के संबंध में दिनांक 19.04.10 को नोटिस दिया गया था जिसका वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 20.07.10 एवं दिनांक 03.08.10 को भी विवादित शौचालय तोड़ने का नोटिस दिया गया था। प्रतिवादीगण विवादित शौचालय को अवैधानिक रूप से तोड़ने पर आमादा है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण का निवेदन है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह विवादित शौचालय में किसी प्रकार का तोड़फोड़ न तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें।

03. प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण ने अवैध रूप से नगर पालिका की भूमि पर बिना स्वीकृति के लेट्रिन बाथरूम बनाया है। वादीगण को वादग्रस्त स्थान पर निर्माण के संबंध में कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है। वादीगण द्वारा स्वीकृति के नियमों का पालन नहीं किया गया है। नगर पालिका में शिकायती आवेदन प्राप्त होने पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशानुसार वादीगण को सही नोटिस दिया गया है। वादीगण नगर पालिका की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

04. प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त स्थल पर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया गया है। वादीगण द्वारा शामिलाली मकान की लंबाई चौड़ाई गलत अंकित की गयी है। वादीगण द्वारा अतिक्रमण करके देवस्थान का निर्माण किया गया है एवं पुश्तैनी भवन की सार्वजनिक मार्ग की गली के कोने पर लेट्रिन एवं बाथरूम का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा उक्त संबंध में एस.डी.एम. कोर्ट गोहद में धारा 133 द.प्र.स. का आवेदन पेश किया गया था जिसके संबंध में एस.डी.एम. कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मंगायी गयी थी। वादीगण द्वारा शौचालय एवं बाथरूम के संबंध में नगर पालिका गोहद से किसी भी प्रकार की अनुमति

प्राप्त नहीं की गयी है। यदि वादीगण द्वारा कोई अनुमति प्राप्त भी की गयी होगी तब भी वादीगण अतिक्रमण करके शौचालय एवं बाथरूम का निर्माण करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण द्वारा शासकीय नगर पालिका के सार्वजनिक आवागमन के मार्ग में अतिक्रमण किया गया है जिसके संबंध में एस. डी.एम. न्यायालय द्वारा पूर्व में ही आदेश पारित किया जा चुका है। वादीगण झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं एवं हरिजन होने के कारण हरिजन एक्ट की धमकी देकर उसका लाभ उठाकर सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध किए हुए हैं। प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा वादीगण को सही रूप से शौचालय एवं स्नानागार को तोड़ने का नोटिस दिया गया था। वादीगण द्वारा यह दावा अवैधानिक रूप से किए गए अतिक्रमण को बचाने के लिए किया गया है। वादीगण के पास वादग्रस्त शौचालय एवं स्नानागार के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है। वादग्रस्त शौचालय वादीगण के स्वामित्व का नहीं है। प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा एस.डी.एम. कोर्ट में द.प्र.स. की धारा 133 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर पटवारी मौजा द्वारा विधिवत वादग्रस्त स्थल की जांच की गयी थी एवं जांच के दौरान यह पाया गया था कि वादीगण द्वारा पाखाना एवं स्नानागार जांच किए जाने के चार माह पूर्व ही अतिक्रमण किया गया है इससे पूर्व आवागमन के लिए सार्वजनिक मार्ग खुला हुआ था। तत्पश्चात एस.डी.एम. न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु नगर पालिका गोहद को पत्र जारी किया गया था एवं उक्त पत्र के पालन में नगर पालिका गोहद द्वारा रास्ते में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए वादीगण को नोटिस जारी किया गया था। वादीगण द्वारा अवैधानिक रूप से सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध कर अतिक्रमण किया गया है। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

05. प्रतिवादी कमांक 3 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण का पुश्तैनी मकान वार्ड नं० 5 में स्थित नहीं है। वादीगण द्वारा अवैधानिक रूप से अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया गया है। वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है जिसका उपयोग हमेशा से रास्ते के रूप में होता रहा है। वादीगण द्वारा शामिलाली मकान की लंबाई, चौड़ाई गलत अंकित की गयी है वादीगण एवं उनके पूर्वजों द्वारा अवैध निर्माण के संबंध में विधिवत अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। वादीगण द्वारा अतिक्रमण कर देवस्थान का निर्माण किया गया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी कमांक 3 के पैतृक भवन की सार्वजनिक मार्ग की गली के कोने पर लेट्रिन एवं बाथरूम का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में एस.डी.एम. न्यायालय द्वारा राजस्व कर्मचारियों से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मंगाई गयी थी। वादग्रस्त शौचालय के संबंध में नगर पालिका गोहद द्वारा किसी भी

प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गयी है। वादीगण द्वारा नगर पालिका के सार्वजनिक आवागमन के मार्ग में अतिक्रमण किया गया है। एस.डी.एम. न्यायालय द्वारा जांच पश्चात सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण पाते हुए मार्ग को खुलवाने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोहद को पत्र जारी किया गया था जिसके पालन में नगर पालिका द्वारा वादीगण को सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का नोटिस दिया गया था। वादीगण द्वारा सार्वजनिक मार्ग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

06. प्रतिवादी कमांक 4 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण द्वारा यह नहीं बताया गया है कि वादी के पूर्वजों के पास उक्त संपत्ति किस स्रोत से आई थी। वादीगण द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण किया गया है जिसके संबंध में नगर पालिका परिषद द्वारा वादीगण को नोटिस दिया गया था इसके बावजूद भी वादीगण द्वारा वादग्रस्त स्थान से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी को नामांतरण की सूचना नहीं दी गयी है। वादीगण ने नगर पालिका से मिलकर वादग्रस्त भूमि का नामांतरण अपने नाम से कराया है। वादीगण द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण किया गया है। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

07. प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा प्रकरण में प्रतिदावा प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी कमांक 2 का पुश्तैनी मकान वार्ड नं० 5 इटायली गेट गोहद में स्थित है। प्रतिवादी के पूर्वजों द्वारा दिनांक 18.03.1976 को उक्त मकान हरनारायण, भारत एवं महिला श्रीमती बैजन्ती से विधिवत कय किया गया था तभी से प्रतिवादी कमांक 2 के पूर्वज उक्त भवन में निवास कर रहे थे। उक्त भवन के दक्षिण दिशा की तरफ वादीगण का मकान बना हुआ है एवं दोनों भवनों के मध्य 14 फीट 6 इंच का सार्वजनिक मार्ग हमेशा से निर्मित है उक्त मार्ग से प्रतिवादी एवं उनके पूर्वज नियमित रूप से आवागमन करते रहे हैं। वादीगण/प्रतिदावा के प्रतिवादीगण द्वारा सार्वजनिक मार्ग में पाखाना एवं स्नानागार निर्मित कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है जिसके संबंध में प्रतिवादी कमांक 2/प्रतिदावा के वादी द्वारा दिनांक 19.07.10 को एस.डी.एम. महोदय गोहद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। एस.डी.एम. महोदय गोहद ने सी.एम.ओ. गोहद को निरीक्षण कर रास्ता खुलवाने के संबंध में आदेश पारित किया था तथा अतिक्रमण हटाने के लिए वादीगण/प्रतिदावा के प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया था परन्तु वादीगण/प्रतिदावा के प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। वादीगण/प्रतिदावा के

प्रतिवादीगण द्वारा एस.डी.एम. न्यायालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त रास्ता वादी का व्यक्तिगत रास्ता है सार्वजनिक रास्ता नहीं है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26.08.10 को विधिवत निराकृत किया गया था। वादीगण/प्रतिदावा के प्रतिवादीगण द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण किया गया है। वादग्रस्त मार्ग प्रतिवादी/प्रतिदावा के वादी का पुश्तैनी मार्ग है। वादीगण/प्रतिदावा के प्रतिवादीगण द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर शौचालय का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अतः प्रतिदावा प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण/प्रतिदावा के वादी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वादीगण/प्रतिदावा के प्रतिवादीगण द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की घोषणा की जावे एवं वादीगण/प्रतिदावा के प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह सार्वजनिक मार्ग में अतिक्रमण न करें।

08. वादीगण द्वारा प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण का भवन वार्ड नं० 7 में स्थित है जिसके उत्तर में सरकारी भूमि, दक्षिण में शासकीय भूमि, पश्चिम में शासकीय भूमि एवं पूर्व में सेठ का मकान स्थित है। प्रतिवादी के पूर्वजों ने हरनारायण आदि से कोई जगह कय नहीं की थी। वादी के दक्षिण दिशा की तरफ 14 फीट 6 इंच का मार्ग कभी भी नहीं रहा है ना ही आज मौके पर है। प्रतिवादीगण का आवागमन विवादित जगह से नहीं हो रहा है। वादग्रस्त स्थल सार्वजनिक रास्ता नहीं है उसमें बीस वर्ष से अधिक समय से वादीगण का शौचालय निर्मित है। वादीगण के मकान के दक्षिण दिशा की तरफ 14 फीट 6 इंच का रास्ता नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण की दीवाल है तथा रास्ता लगभग 6 फीट का है जिससे होकर प्रतिवादी उत्तर दिशा की तरफ निकलते हैं। वादीगण के पूर्वजों के समय से ही पाखाना एवं स्नानागार बने हुए हैं। प्रतिवादी द्वारा एस.डी.एम. महोदय के यहां गलत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे दिनांक 11.01.11 को खारिज कर दिया गया है फिर भी प्रतिवादी द्वारा वादी का परेशान करने के उद्देश्य से कार्यवाही की जा रही है। एस.डी.एम. न्यायालय द्वारा तथाकथित मार्ग को सार्वजनिक नहीं माना है जिसके संबंध में प्रतिवादी द्वारा श्रीमान सत्र न्यायाधीश गोहद के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी थी जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। वादग्रस्त स्थल पुश्तैनी मार्ग नहीं है। मौके पर प्रतिवादीगण का कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं हो रहा है। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

09. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

वाद प्रश्ननिष्कर्ष

1. क्या वादीगण का कथित वादग्रस्त शौचालय(पाखाना एवं स्नानगार) रठियन का पुरा वार्ड नं0 5 गोहद स्थित 30 वर्ष से अधिक समयावधि से पुश्तैनी रूप से वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर बना हुआ है ?
2. क्या प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा उक्त शौचालय को अवैध रूप से तोड़ने का प्रयास किया गया है ?
3. क्या उक्त वादग्रस्त शौचालय के स्थान पर पूर्व में आवागमन हेतु सार्वजनिक मार्ग था जिसे वादीगण ने शौचालय का निर्माण कर उसे अवरुद्ध किया गया है ?
4. क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर उस पर विहित न्यायशुल्क अदा किया गया है ?
5. क्या काउण्टर क्लेम के वादी (मूलदावा के प्रतिवादी) ने काउण्टर क्लेम कर उचित रूप से मूल्यांकन कर उस पर विहित न्यायशुल्क अदा किया गया है ?
6. सहायता एवं व्यय?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारणवाद प्रश्न कमांक-1

10. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी जीतू उर्फ जितेन्द्र वा0सा01 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण का पुश्तैनी मकान कस्बा गोहद वार्ड नं0 5 में स्थित है। पारिवारिक बंटवारे के अनुसार वादीगण को मकान का उत्तरी भाग प्राप्त हुआ है। वादीगण का शामिलाली मकान उत्तर से दक्षिण 55 फीट एवं पूरव से पश्चिम 56 फीट के लगभग है। वादीगण के मकान की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 3 के पूर्वजों की शामिलाली भूमि है जो घरू बंटवारे में वादीगण एवं वादीगण के चाचा मानसिंह को प्राप्त

हुई थी जिस पर वादीगण एवं वादीगण के चाचा मानसिंह वगैरह का मकान बना हुआ है। उक्त भूमि आबादी भूमि सर्वे क्रमांक 1137 एवं 1138 का भाग है। नगर पालिका एवं नगर सभा के गठन के बाद जो भूमि भाग जिस व्यक्ति के कब्जा बर्ताव में था उस भूमि भाग का वह स्वामी बन गया है। वादग्रस्त भूमि नगर पालिका गठन से पूर्व वादीगण की पैतृक भूमि थी। नगर पालिका द्वारा कभी भी नक्शा प्लान नहीं किया गया है। वादीगण के परिवार का कच्चा मकान था बाद में पक्का बना है। उक्त शामिलाली मकान के दक्षिणी पूर्वी कोने पर देवस्थान है तथा उत्तरी पूर्वी कोने पर वादीगण का शौचालय एवं स्नानागार बना है। नगर पालिका झूठी शिकायत के आधार पर वादीगण के शौचालय एवं स्नानागार को तोड़ना चाहती है। वादीगण द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में नगर पालिका द्वारा दिए गए सूचना पत्र प्र0पी-3 एवं 4 नामांतरण सूचना पत्र प्र0पी-5 नगर पालिका से दिए गए नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी-6 एवं 7 तथा खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी-8, प्र0पी-9 एवं प्र0पी-10 प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है।

11. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 7 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र0पी-6 के नक्शे में कहीं भी लेट्रिन बाथरूम नहीं दर्शाये गये हैं एवं यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी-6 का नक्शा उसके पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी-6 एवं प्र0पी-7 के नक्शे में आम रास्ते में माता का मंदिर बना हुआ है। पद क्रमांक 8 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि रामस्वरूप एवं मानसिंह के समय में मकान 55गुणा 56 वर्गफीट पर बना था तथा आज भी उक्त मकान उतनी ही लंबाई चौड़ाई में बना है। उसे जानकारी नहीं है कि प्र0पी-6 के नक्शे में नगर पालिका द्वारा 31गुणा56 वर्गफीट पर मकान बनाने की अनुमति दी गयी थी। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका मकान 31गुणा36 वर्गफीट पर बना है। पद क्रमांक 9 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र0पी-6 एवं प्र0पी-7 का नक्शा रामस्वरूप एवं मानसिंह के शामिलाली मकान का है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने दावे के साथ जो मानचित्र पेश किया है उसमें मकान की लंबाई चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 50 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 56 फुट अंकित है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से चिन्हित जगह विवादित है। उक्त साक्षीने इसी पद क्रमांक में यह भी व्यक्त किया है कि विवादित जगह 50गुणा56 वर्गफीट का भाग है। पद क्रमांक 10 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने दावे में लेट्रिन बाथरूम वाली जगह की लंबाई चौड़ाई नहीं लिखी है। पद क्रमांक 12 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे वर्ष 2010 में प्र0पी-3 का सूचना पत्र मिला था। पद

क्रमांक 13 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका मकान सर्वे क्रमांक 1137 एवं 1138 में बना है तथा यह भी स्वीकार किया है कि सर्वे क्रमांक 1137 एवं 1138 शासकीय है उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दावे के साथ संलग्न मानचित्र में उत्तर से दक्षिण रास्ता सरेआम लिखा है तथा यह भी स्वीकार किया है कि उक्त रास्ता बालमुकुंद के मकान तक है। पद क्रमांक 14 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि लेट्रिन के सामने खाली जगह नहीं पड़ी है।

12. वादी साक्षी राजेश गुप्ता वा0सा02 ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि जीतू ने किस बात का दावा किया है वह आज जीतू के साथ गवाही देने आया है। जीतू के घर के बगल से लेट्रिन बाथरूम बने हैं उसके बाद बालमुकुंद का घर है।

13. प्रतिवादी लक्ष्मणसिंह प्र0सा01 ने वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए व्यक्त किया है कि वादीगण द्वारा सार्वजनिक रास्ते में बिना किसी स्वत्व व आधिपत्य के बलपूर्वक वर्ष 2010 में अतिक्रमण कर उक्त रास्ते के कुछ भाग पर बलपूर्वक लेट्रिन बाथरूम का निर्माण कर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है तब उसके द्वारा एस.डी.एम. महोदय गोहद को शिकायती आवेदन दिया गया था एवं एस.डी.एम. महोदय गोहद द्वारा दिनांक 18.08.10 को सार्वजनिक रास्ते से अवैध रूप से निर्मित लेट्रिन बाथरूम को हटाने के लिए आदेश पारित किया गया था जिसकी सूचना वादीगण को दी गयी थी वादीगण द्वारा सार्वजनिक रास्ते में लेट्रिन एवं बाथरूम का निर्माण कर लेने से उसे एवं प्रतिवादी बालकिशन को अपने भवनों तक आवागमन करने में परेशानी हो रही है।

14. प्रतिवादी बालकिशन शर्मा प्र0सा02 ने भी वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए शपथपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसने रठियन पुरा वार्ड नं0 2 में विवादित मकान दिनांक 18.03.1976 को कय किया था एवं उसके मकान के बीच में से 14.6 फीट की गली स्थित है जो मानचित्र में दर्शायी गयी है। वादीगण द्वारा उक्त रास्ते पर लेट्रिन बाथरूम का निर्माण कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है जिसकी शिकायत उसके द्वारा दिनांक 18.04.10 को एस.डी.एम. गोहद जिला भिण्ड को की गयी थी। जिसके संबंध में सी0एम0ओ0 गोहद ने वादीगण को दिनांक 03.06.10 को अंतिम सूचना पत्र दिया था। प्रतिवादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 18.03.76 प्रस्तुत किया है।

15. तर्क के दौरान वादीगण अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि बादग्रस्त शौचालय वादीगण के स्वत्व की भूमि पर बना है उक्त शौचालय सार्वजनिक रास्ते पर निर्मित नहीं है

जबकि तर्क के दौरान प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त शौचालय सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर निर्मित है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में वादी जीतू उर्फ जितेन्द्र वा0सा01 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण के शामिलाली मकान की लंबाई चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 56 फीट एवं पूर्व से पश्चिम 55 फीट के लगभग है। परन्तु वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ जो मानचित्र संलग्न किया गया है उसमें वादीगण द्वारा शामिलाली मकान अ, ब, स, द की लंबाई चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 50 फुट एवं उत्तर से दक्षिण 56 फुट अंकित की गयी है। प्रतिपरीक्षण के दौरान भी पद क्रमांक 8 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त मकान 55 गुणा 56 वर्गफीट की लंबाई चौड़ाई में बना हुआ है तथा पद क्रमांक 9 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दावे के साथ संलग्न मानचित्र में उसने मकान की लंबाई चौड़ाई 50 गुणा 56 फुट अंकित की है। इस प्रकार वादी जीतू वा0सा01 के उक्त कथनों से यह दर्शित है कि वादीगण द्वारा शामिलाली मकान अ, ब, स, द, की लंबाई चौड़ाई के संबंध में भिन्न-भिन्न कथन किए गए हैं। वादीगण द्वारा अपने अभिवचनों में शामिलाली मकान की लंबाई 55 गुणा 56 फीट अंकित की गयी है परन्तु वादीगण द्वारा भी अपने वादपत्र के साथ जो मानचित्र प्रस्तुत किया गया है उसमें शामिलाली मकान अ, ब, स, द, की लंबाई चौड़ाई 50 गुणा 56 फुट अंकित की गयी है इस प्रकार वादीगण द्वारा विवादित मकान की लंबाई चौड़ाई के संबंध में भिन्न-भिन्न अभिवचन किए गए हैं।

17. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त शौचालय जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से चिह्नित किया गया है वादीगण के मकान में बना हुआ है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में स्वयं एवं मानसिंह के शामिलाली मकान अ, ब, स, द से चिह्नित किया गया है एवं स्वयं के मकान को अ, ब, क, ख से चिह्नित किया गया है तथा वादग्रस्त शौचालय वाली जगह को लाल रेखाओं से चिह्नित किया गया है। वादीगण द्वारा जो मानचित्र प्रस्तुत किया गया है उससे ही यह दर्शित हो रहा है कि वादग्रस्त शौचालय वादीगण के मकान के अंदर न होकर मकान के बाहर रास्ते में निर्मित है। मानचित्र के अनुसार वादग्रस्त शौचालय के पश्चात बालमुकुंद का मकान स्थित है। वादीगण द्वारा ही वादपत्र के साथ जो मानचित्र प्रस्तुत किया गया है उसमें वादीगण के मकान अ, ब, स, द, के पूर्व दिशा की तरफ रास्ता सरेआम लेख है एवं वादीगण के मानचित्र से ही यह दर्शित हो रहा है कि वादीगण द्वारा अपने

मकान अ, ब, क, ख के बाहर रास्ते पर शौचालय का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा जो प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत किया गया है उसके साथ भी विवादित जगह का मानचित्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु वादीगण द्वारा प्रतिदावा के जवाब के साथ जो मानचित्र प्रस्तुत किया गया है उसमें विवादित शौचालय को मकान के अंदर दर्शाया गया है जबकि वादीगण द्वारा जो वादपत्र के साथ मानचित्र संलग्न किया गया है उसमें विवादित शौचालय को मकान के बाहर दर्शाया गया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा ही जो वादपत्र के साथ एवं प्रतिदावा के जवाब के साथ मानचित्र प्रस्तुत किए गए हैं उसमें भी भिन्नता है। अतः उक्त अवलोकन से यही दर्शित होता है कि वादीगण द्वारा सत्यता को छिपाया जा रहा है एवं वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये हैं।

18. जहां तक उक्त बिन्दु पर आई मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि वादी जीतू उर्फ जितेन्द्र वा0सा01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसके पिता रामस्वरूप एवं चाचा मानसिंह का मकान 55गुणा56 वर्गफीट पर बना था तथा आज भी उक्त मकान उतनी ही लंबाई चौड़ाई में बना हुआ है। इस प्रकार वादी जीतू वा0सा01 के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि वादीगण एवं मानसिंह का शामिलाली मकान जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अ, ब, स, द से चिन्हित किया गया है 55गुणा56 वर्गफीट पर निर्मित है एवं वादीगण ने शामिलाली मकान की कुल लंबाई चौड़ाई 55गुणा56 फीट बतायी है तथा वादी जितेन्द्र वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि शामिलाली मकान अ, ब, स, द 55गुणा56 वर्गफीट पर बना है। ऐसी स्थिति में वादी के उक्त कथन से भी यही प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा जिस स्थान पर शौचालय का निर्माण किया गया है वह 55गुणा56 वर्गफीट में शामिल नहीं है एवं उक्त स्थान वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य का नहीं है।

19. जहां तक राजेश गुप्ता वा0सा02 के कथन का प्रश्न है तो यद्यपि उक्त साक्षी ने अपने शपथपत्र में वादीगण के अभिवचनों का समर्थन किया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि जीतू ने किस बात का दावा किया है। वह जीतू के साथ गवाही देने आया है। इसके अतिरिक्त राजेश गुप्ता वा0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि विवादित लेट्रिन बाथरूम वादीगण के घर की बाउण्ड्री के अंदर बने हैं जबकि वादीगण द्वारा स्वयं वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में विवादित शौचालय घर के बाहर होना बताया गया है। इस प्रकार राजेश गुप्ता वा0सा02 के कथनों से यही दर्शित है कि

राजेश गुप्ता वा0सा02 को प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं है वह मात्र वादीगण के बताये अनुसार कथन दे रहा है।

20 वादीगण द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त शौचालय लगभग तीस वर्ष से निर्मित है। परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा प्रकरण में जो प्र0पी-6 एवं प्र0पी-7 की मकान निर्माण स्वीकृति की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है उसमें विवादित शौचालय दर्शित नहीं है। इससे भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि वादीगण द्वारा विवादित शौचालय बनाने की अनुमति नहीं ली गयी थी एवं विवादित शौचालय वादीगण का पुश्तैनी नहीं है। वादीगण द्वारा बाद में सार्वजनिक मार्ग में अतिक्रमण कर विवादित शौचालय का निर्माण किया गया है।

21. वादीगण द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि नगर पालिका गोहद द्वारा वादीगण के विरोधियों से मिलकर शौचालय तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। वादीगण द्वारा उक्त संबंध में प्र0पी-3 एवं प्र0पी-4 के सूचना पत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं। प्र0पी-3 एवं प्र0पी-4 के सूचना पत्र से यह दर्शित है कि नगर पालिका परिषद गोहद द्वारा वादीगण को अवैध शौचालय को तोड़ने के संबंध में सूचना पत्र दिया गया था। यद्यपि वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि नगरपालिका गोहद द्वारा वादीगण को उक्त सूचना पत्र गलत रूप से दिया गया था परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि विवादित शौचालय वादीगण के स्वत्व की भूमि पर निर्मित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण ने अपना मकान सर्वे क्रमांक 1137 एवं 1138 में निर्मित होना बताया है एवं वादीगण द्वारा ही जो प्र0पी-8, 9, एवं 10 के खसरो की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है उसमें सर्वे क्रमांक 1138 एवं सर्वे क्रमांक 1137 शासकीय होना दर्शित है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त शौचालय वादीगण के स्वत्व की भूमि पर बना है। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा ही जो वादपत्र के साथ मानचित्र प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उससे ही यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त शौचालय वादीगण के मकान के बाहर स्थित है एवं वादीगण द्वारा सार्वजनिक रास्ते में विवादित शौचालय का निर्माण कर रास्ते को अवरुद्ध किया गया है।

22. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि विवादित शौचालय तीस वर्ष से अधिक समयावधि से वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर बना हुआ है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न कमांक-2

23. उक्त वादप्रश्न का निष्कर्ष वादप्रश्न कमांक 1 के निष्कर्ष पर आधारित है। वादप्रश्न कमांक 1 के निष्कर्ष अनुसार वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वादग्रस्त शौचालय वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर बना हुआ है। वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ जो मानचित्र प्रस्तुत किया गया है उससे ही यह दर्शित होता है कि वादीगण द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर विवादित शौचालय निर्मित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी कमांक 1 नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को विधि विरुद्ध नहीं माना जा सकता है एवं यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा अवैध रूप से विवादित शौचालय को तोड़ने का प्रयास किया गया है। फलतः उक्त वादप्रश्न भी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न कमांक-3

24. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण ने सार्वजनिक मार्ग पर विवादित शौचालय का निर्माण कर सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी बालमुकुंद द्वारा प्रकरण में प्रतिदावा प्रस्तुत कर अभिवचनित किया गया है कि वादीगण/प्रतिदावा के प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 3 द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण कर विवादित शौचालय का निर्माण कर रास्ता अवरुद्ध किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि वादी के मकान से दक्षिण दिशा की तरफ 14फीट 6इंच चौड़ा सार्वजनिक मार्ग था जिसे वादीगण द्वारा शौचालय का निर्माण कर अवरुद्ध कर दिया गया है। प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा प्रतिदावे में यह भी अभिवचनित किया गया है कि जिस रास्ते पर वादीगण/प्रतिदावा के प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 3 द्वारा विवादित शौचालय का निर्माण किया गया है उस रास्ते से पूर्वजों के समय से प्रतिवादी कमांक 2 आवागमन करता था एवं उक्त शौचालय निर्मित करने से प्रतिवादी कमांक 2 का आवागमन बाधित हो रहा है। जबकि वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि विवादित शौचालय सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर निर्मित नहीं है।

25. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी बालमुकुंद द्वारा प्रकरण में वादीगण से राजीनामा किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 31.08.17 के अनुसार निरस्त किया जा चुका है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादप्रश्न कमांक 1 के निष्कर्ष अनुसार यह प्रमाणित नहीं है कि वादग्रस्त शौचालय वादीगण के स्वत्व की भूमि पर निर्मित है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित है

कि वादीगण द्वारा सार्वजनिक शासकीय भूमि पर शौचालय का निर्माण किया गया है। जहां तक प्रतिदावे का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा प्रतिदावे में यह अभिवचनित किया गया है कि जिस स्थल पर वादीगण द्वारा विवादित शौचालय का निर्माण किया गया है उस स्थल से प्रतिवादी कमांक 2 पूर्वजों के समय से आवागमन करता था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिदावे को प्रमाणित करने का भार पूर्णतः प्रतिवादी कमांक 2 पर है। प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि जिस स्थल पर वादीगण द्वारा विवादित शौचालय निर्मित किया गया है उस स्थल से प्रतिवादी कमांक 2 को पूर्वजों के समय से आवागमन का अधिकार प्राप्त था। प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा ऐसी भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि विवादित शौचालय के कारण प्रतिवादी कमांक 2 का आवागमन बाधित हो रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा प्रतिदावे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है प्रतिदावा भी स्वीकार योग्य नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण तदनुसार किया गया।

वाद प्रश्न कमांक-4

26. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त जगह एवं शौचालय का मूल्यांकन गलत किया गया है एवं कम न्यायशुल्क अंकित किया गया है जबकि वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त शौचालय का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है।

27. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में वादीगण द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है एवं वादीगण द्वारा वादग्रस्त शौचालय का मूल्यांकन तीन हजार रुपये कर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु सौ रुपये न्यायशुल्क अदा किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण ने वादग्रस्त शौचालय का मूल्यांकन सही नहीं किया है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 7 (4) (डी) के अनुसार "व्यादेश अभिप्राप्त करने के वादों में वादी इम्प्लिट अनुतोष की रकम का कथन करेगा।" इस प्रकार उक्त प्रावधान के अनुसार वादी व्यादेश अभिप्राप्त करने के वादों में अपने वाद का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा वादग्रस्त शौचालय का मूल्यांकन तीन हजार रुपये कर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निर्धारित न्यायशुल्क अदा किया गया है। ऐसी स्थिति में यही दर्शित है कि वादीगण

द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न कमांक-5

28. उक्त वादप्रश्न के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा प्रकरण में घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा प्रतिदावे का मूल्यांकन घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु ग्यारह हजार पांच सौ रुपये कर उस पर घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु तदनुसार न्यायशुल्क अदा किया गया है। न्यायशुल्क अधिनियम 1870 की धारा 7(4)(सी) के अनुसार घोषणात्मक डिक्री या आदेश अभिप्राप्त करने के वादों में जहां पारिणामिक अनुतोष प्रार्थित है वहां वादी इप्सित अनुतोष की रकम का कथन करेगा इस प्रकार घोषणा एवं पारिणामिक अनुतोष प्राप्त करने के वादों में वादी अपने वाद का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी कमांक 2/प्रतिवादावा के वादी द्वारा प्रतिदावा का मूल्यांकन ग्यारह हजार पांच सौ रुपये कर उस पर घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु तदनुसार न्यायशुल्क अदा किया गया है। ऐसी स्थिति में यही माना जायेगा कि प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा प्रतिदावा का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है।

सहायता एवं व्यय

29. समग्र अवलोकन से वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है। समग्र अवलोकन से प्रतिवादी कमांक 2 प्रतिदावा प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः प्रतिदावा भी निरस्त किया जाता है।

30. वाद का सम्पूर्ण व्यय वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा समान रूप से वहन किया जायेगा।

31. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हों देय होगा।

तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावें।

स्थान - गोहद

दिनांक -31-08-2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,

खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)